

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी-श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-09/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अमरसिंह पुत्र अजीतसिंह		1.हेमसिंह पुत्र नेनाराम
जाति राजपुरोहित		2.वोतसिंह पुत्र नेनाराम
निवासी विजारणी (पारलू)		3.देवीलाल पुत्र नेनाराम
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		4.मदनसिंह पुत्र नेनाराम
		5.गुलाबदेवी पत्नि चम्पालाल
		जाति राजपुरोहित निवासी कनाना
		तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर
		6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक-06.4.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा उमरलाई


खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 319 क्षेत्रफल 14.9228 हैक्टर भूमि के संबंध में

प्रस्तुत वाद दिनांक 17.3.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर

पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु

भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार

मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

अनुसार मोक़े का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 319 क्षेत्रफल 14.9228 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	अमरसिंह पुत्र अजीतसिंह कौम पुरोहित सा.पारलू खातेदार रहन-एस.बी.आई. शाखा पारलू	उमरलाई खालसा	319	7.4614	बा.दो.	11.79	नक्शे में दर्शित अनुसार
योग			01	7.4614	बा.दो.	11.79	—
2	गुलाबीदेवी पत्नि चम्पालाल कौम पुरोहित सा.कनाना खातेदार	उमरलाई खालसा	319	2.2763	बा.दो.	3.60	नक्शे में दर्शित अनुसार
योग			01	2.2763	बा.दो.	3.60	—
3	हेमसिंह पुत्र नेनाराम हिस्सा 1/4, देवीलाल पुत्र नेनाराम हिस्सा 1/4, मदनसिंह पुत्र नेनाराम हिस्सा हिस्सा 1/4, वीतसिंह पुत्र कौम पुरोहित सा.देह खातेदार	उमरलाई खालसा	319	5.1851	बा.दो.	8.19	नक्शे में दर्शित अनुसार
योग			01	5.1851	बा.दो.	8.19	—

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्या मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(विवेक व्यास)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 06.4.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

